लेख

फ़ोटो: सेंटर फ़ॉर सोशल रिसर्च

किशोरियों की तस्करी: दर्जा व प्रभाव

रंजना कुमारी

यूएनओडीसी के अनुसार मानव तस्करी की परिभाषा निम्न हैः किसी भी व्यक्ति को धमकी, दबाव, ज़ोर-ज़बरदस्ती धोखे, या अन्य तरीक़ों से शोषण हेतु नियुक्ति, आश्रय, खरीद-फरोख़्त, हस्तान्तरण, लेन-देन, छुपाकर रखना या अगवा करना। यह मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है जो पीड़ितों को उनके मूल व व्यापक व्यक्तिगत अधिकारों से वंचित करता है।

मानव तस्करी ड्रग्स व हथियारों की तस्करी के बाद विश्व के हर राष्ट्र को प्रभावित करने वाला तीसरे नम्बर का संगठित अपराध है। अनुमानित है कि विश्व में एक समय पर ढाई करोड़ लोगों की तस्करी की जाती है। यूनिसेफ़ के अनुसार इनमें से 1.2 करोड़ अबोध बच्चे होते हैं। इस अपराध के ज़रिए विश्व स्तर पर सालाना 36.1 अरब डालर का मुनाफ़ा होता है— यानी हर व्यक्ति पर 13000 डालर की कमाई।

मानव तस्करी मुख्यतः यौन व आर्थिक शोषण के मकसद से की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 43% पीड़ित यौन शोषण व 32% जबरन मज़दूरी में धकेले जाते हैं। इसके अलावा मानव तस्करी जिस्मफरोशी, वेश्यावृति, पोर्नोग्राफी, कपड़ा उद्योग, भीख मांगने, नशीले पदार्थ बेचने, स्मगलिंग, अंग व्यापार उद्योग, कृषि व निर्माण उद्योगों के लिए भी की जाती है।

लड़कियों, बच्चों व औरतों के साथ लैंगिक भेदभाव तथा गरीबी उन्हें तस्करी के प्रति अधिक असुरक्षित बनाता है। सामाजिक व्यवहार व रवैये घरेलू हिंसा, शोषण के कारण लड़कियों को ज़बरदस्ती कुछ खास उद्योगों के काम करने के लिए बेचा या मजबूर किया जा सकता है। कम शिक्षा, जानकारी की कमी, अधिकारों के प्रति कम जागरूकता के कारण लड़कियां शोषण और हिंसा का शिकार होती हैं। आर्थिक सुरक्षा का अभाव उन्हें ऐसी जगह काम के लिए पलायन करने को विवश कर देता है जहां मानव तस्करी का खतरा ज़्यादा रहता है। यौन उद्योग का विकास भी वेश्यावृति के लिए लड़कियों व बच्चों की मांग को बढ़ाता है।

मानव तस्करी का शिकार होने वालों में ज़्यादा संख्या लड़कियों व बच्चों की होती है। हमारी कमज़ोर कानून कार्यान्वयन प्रणाली तथा अफ़सरों में संवेदनशीलता की कमी मानव तस्करी के पीड़ितों को और अधिक प्रभावित करती है।

भारत मानव तस्करी के लिए स्रोत, पारगमन व गन्तव्य देश है। यहां मानव तस्करी का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक वेश्यावृति व जबरन श्रम है। हालांकि बढ़ते हुए गर्भ चयनित गर्भपात व स्त्री भ्रूण हत्या से गिरते लिंग अनुपात के कारण विवाह के उद्देश्य से भी लड़कियों की तस्करी की जाती है।

हर साल मानव तस्करी किए गए ढाई करोड़ लोगों में सवा दो लाख दक्षिण एशिया से आते हैं। और इनमें से 80% लड़कियां वेश्यावृति में धकेल दी जाती हैं। यूनिसेफ़ के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण एशिया में लड़कियों व बच्चों की खरीद-फ़रोख्त नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। अनुमानित है कि भारत में मानव तस्करी द्वारा वेश्यावृति के लिए आने-जाने वाली लड़कियों में से 60% 12-16 वर्ष की किशोरियां हैं।

किशोरियों के इस अवैध व्यापार के पीछे ग़रीबी, सामाजिक, आर्थिक तथा लैंगिक भेदभाव प्रमुख कारण है। यूएस सरकार की मानव तस्करी रिपोर्ट 2010 के अनुसार अवैध व्यापार व तस्करी का शिकार होने वाले लोगों में से 90% समाज के सबसे कमज़ोर, अरक्षित व गरीब वर्ग के होते हैं जो अपने जीवन में अनेक प्रकार के भेदभाव सहते हैं।

अनुपयुक्त कानून व नीतियां

भारतीय संविधान में पंद्रह मानव तस्करी विरोधी प्रावधान मौजूद हैं पर इनके बीच मौजूद असमानताओं व तालमेल का अभाव इनके कार्यान्वयन में अवरोध पैदा करता है।

अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 यौन शोषण के लिए औरतों व बच्चों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। परन्तु अभियुक्त तस्करों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले प्रावधानों का उपयोग पीड़ितों के विरूद्ध भी किया जाता है जो उन्हें उबारने की जगह उनका और अधिक दमन करता है। इस कानून में संशोधन की मांग महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा मानव संसाधन विकास विभाग के समक्ष रखी गई है।

कानूनों की मौजूदगी के बावजूद दोषियों के ख़िलाफ़ उचित कानूनी कार्यवाही नहीं हो पाती है। एनएचआरसी द्वारा पुलिस अफ़सरों के साथ किए गए एक अध्ययन से मालूम चला कि साक्षात्कार किए गए 852 अफ़सरों में से 40% ने कभी भी मानव तस्करी के बारे में सुना नहीं था, तथा 80% के लिए यह एक निम्न प्राथमिकता थी या फिर महत्वपूर्ण विषय नहीं था। न्यायपालिका स्तर पर देखें तो अवैध तस्करी के मामले यहां साल दर साल खिंचते रहते हैं। भष्ट्राचार और पैसों के बल पर दोषी व्यक्ति उचित सज़ा से बच निकलते हैं।

मानव तस्करी की बढ़ती मांग

जिस्मफ़रोशी, यौनकर्म, वेश्यावृति, सस्ते श्रम जैसे उद्योगों की बढ़ती मांगों के कारण मानव तस्करी का बाज़ार दिनो-दिन बढ़ता जा रहा है। जब तक यह मांग रहेगी मानव तस्करी का अपराध कानूनी बचाव के रास्ते तलाश करके फलता-फूलता रहेगा।

मानव तस्करी के प्रभाव

मानव तस्करी की प्रक्रिया पीड़ित और व्यापक समुदाय पर विध्वंसक प्रभाव छोड़ती है। 95% भुक्तभोगी शारीरिक व मानसिक हिंसा का अनुभव करते हैं, 90% के साथ यौन हिंसा और लगभग सभी के साथ मनोवैज्ञानिक हिंसा होती है। ये शारीरिक, यौनिक और मनोवैज्ञानिक शोषण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है।

मानव तस्करी से जुड़े मनोवैज्ञानिक तनाव के कारण उदासीनता, उत्सुकता, आत्म-विस्मृति, मानसिक आघात जैसी समस्याएं सामने आई हैं। पीड़ित खुद को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें करते हैं और दोबारा अपने पारिवारिक व सामुदायिक जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करने में खुद को असमर्थ पाते हैं।

ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव और ज़्यादा बढ़ते हैं जब पीड़ितों को न्यायिक व कानूनी प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस, न्यायपालिका, परिवार व समुदाय पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता और सहयोगी

भूमिका अदा करें जो उनकी मनोवैज्ञानिक सेहत के लिए बहुत अहम ज़रूरत है।

फ़ोटो: सेंटर फ़ॉर सोशल रिसर्च

मानव तस्करी के पीड़ितों को यौन उद्योगों, कृषि निर्माण तथा फैक्ट्रियों के प्रदूषित और श्रमसाध्य माहौल में काम करने की वजह से पीठ दर्द, देखने-सुनने में तकलीफ़ जैसी शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। गरीबी और कुपोषण के कारण बच्चों का सही विकास भी नहीं हो पाता।

वेश्यावृति व जिस्मफ़रोशी से जुड़ी 80% किशोरियों को यौन संक्रमण, एचआईवी यौन अंगों के कटने-फटने-गलने जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। उचित स्वास्थ्य सेवा के अभाव में उन्हें सही समय पर इलाज व संक्रमण और छूत के रोगों से बचाव नहीं मिलता जिससे उनकी सेहत लगातार गिरती चली जाती है।

भारत में मानव तस्करी पर प्रतिक्रिया

यह बहुत ज़रूरी है कि भारत में मानव तस्करी की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए खास ध्यान दिया जाए। इसके लिए तीन स्तरों पर काम करना आवश्यक है- मानव तस्करी की रोकथाम, अपराधियों को सज़ा तथा उत्तरजीवियों की सुरक्षा व पुनर्वास।

हमारे देश में मानव तस्करी को सम्बोधित करने वाले अधिकांश कार्यक्रम यौन उद्योगों पर ही केंद्रित हैं, वे समस्या को जड़ से खत्म करने वाले कारणों पर ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार सरकार व पुलिस छोटे दलालों पर अंकुश लगाती है। बड़े तस्करों व संगठित रूप से काम करने वाले सरगना खुले-आम, आज़ादी घूमते हैं जिससे इस अपराध की रोकथाम नहीं हो पाती।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी द्विपक्षी श्रम समझौतों की आवश्यकता है जिससे अंतर-देशीय खरीद-फ़रोख्त को नियंत्रित किया जा सके।

भारत में मानव तस्करी का शिकार पीड़ितों को वेश्यावृति या अवैध श्रमिकों के रूप में अक्सर गिरफ्तार किया जाता है। इससे इन पीड़ितों पर दोहरी मार पड़ती है। ज़रूरत है इनके प्रति एक संवेदनशील व सहयोगी व्यवहार की जिससे इन्हें न्याय मिल सके।

इसके अतिरिक्त मानव तस्करी की उत्तरजीवी किशोरियों को पुनर्वास और दोबारा अपना सामान्य जीवन शुरू करने के लिए सहयोगी कार्यक्रम व मौकों की भी ज़रूरत है। सामाजिक सहयोग के कार्यक्रमों से ही इन उत्तरजीवियों को दोबारा समुदाय से जोड़ा जा सकता है।

पुरुषों व लड़कों की भूमिका अहम है

मानव तस्करी का मुद्दा केवल औरतों के प्रयासों से हल नहीं किया जा सकता। हमारे सामुदायिक व व्यापारिक ढांचे में औरतों के जीवन पर पुरुषों का नियंत्रण होता है। परिवार के भीतर पुरुष यौन संबंध, परिवार नियोजन, स्त्री शिक्षा, विवाह तथा गर्भ निरोध जैसे मसलों को नियंत्रित करते हैं। समुदाय में पुरुषों का नियंत्रण रोज़गार, स्वास्थ्य सेवाओं, कानूनी सहयोग तथा अधिकारों की जानकारी जैसे मुद्दों पर रहता है।

पुरुषों की इस सत्ता को मद्देनज़र रखते हुए यह ज़रूरी है कि उन्हें मानव तस्करी से जुड़ी परियोजनाओं में भागीदारी बनाया जाए। महिला सशक्तिकरण व अधिकारों जैसे कार्यक्रमों में पुरुषों को जोड़ने से वे इन मुद्दों पर खुलकर बातचीत कर सकेंगे। यह भागीदारी उनके नज़रिए व व्यवहार को बदलने के लिए भी अधिक प्रभावशाली रहेगी।

पुरुष अक्सर महिला अधिकारों को नज़रअंदाज़ कर देते है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि पुरुषों को इन मुद्दों व औरतों और समुदाय पर इनके प्रभावों के प्रति जागरूक बनाया जाए जिससे वे औरतों के अधिकारों में सहयोगी भूमिका अदा कर पाएं।

डॉ. रंजना कुमारी, *सेंटर फ़ॉर सोशल रिसर्च की निदेशिका हैं।*